(3) इन विनियमों के लागू होने से पूर्व जारी किए गए आदेश के विरूद्ध इन विनियमों के लागू होने पर विचाराधीन या उसके बाद प्रस्तुत की गई अपील पर इन विनियमों के अनुसार विचार किया जाएगा तथा उस पर आदेश जारी किए जाएगें।

28. संदेहों का निराकरण :– जहां इन विनियमों के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन या उनकी प्रयोज्यता के बार में कोई संदेह उत्पन्न होता हो वहां मामले को राज्य सरकार को भेजा जायेगा तथा उसको उस पर दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नियुक्ति प्राधिकारी प्रथम श्रेणी – राज्य सरकार।

द्वितीय श्रेणी – आयुक्त।

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी – सचिव

अनुसूची – ड.

विनियम – 7 के अधीन अनुशाषी प्राधिकारी अधिकारी एवं अगले वरिष्ठ अधिकारी अनुसूचीः–

पदों का वर्ग	अनुशाषी प्राधिकारी अधिकारी	अगला वरिष्ठ अधिकारी
1	राज्य सरकार	....
2	आयुक्त या आयुक्त द्वारा विशिष्ट रूप से शक्ति प्रदत अधिकारी	कार्यकारी समिति
3	सचिव	आयुक्त
4	अधिकारी जिसे सचिव द्वारा शक्ति प्रदत की जावे	सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण (योजनाओं की तैयारी और मंजूरी) विनियम, 2014

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 23, 25 व 39 के साथ पठित उसकी धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः–

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :– (1) इन विनियमों का नाम जोधपुर विकास प्राधिकरण (योजनाओं की तैयारी और मंजूरी) विनियम, 2014 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2–परिभाषायें:– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में:–

(1) "अधिनियम" से जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 अभिप्रेत है।

(2) "प्राधिकरण" से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अभिप्रेत है।

(3) "कार्यकारी समिति" से प्राधिकरण की कार्यकारी समिति अभिप्रेत हैः

(4) जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त" से अधिनियम की धारा 8 के अधीन सरकार द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त के रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है,

(5) "निदेशक नगर आयोजना" से प्राधिकरण का नगर आयोजना निदेशक अभिप्रेत हैः

(6) "सचिव" से प्राधिकरण का सचिव अभिप्रेत हैः

(7) जो प्रयुक्त किन्तु परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम के लिए समनुदेशित है।

3–अधिनियम की धारा 23 के अधीन योजना प्रारूप के प्रकाशन की रीतिः– (1) प्राधिकरण में तैयार किया गया योजना प्रारूप सचिव द्वारा प्रारूप "क" में इस प्रकार प्रकाशित किया जायेगा कि उसकी एक प्रतिलिपि जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय, जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय, कार्यालय नगर निगम जोधपुर, कार्यालय जिला परिषद जोधपुर, संबंधित नगर पालिका के कार्यालय, संबंधित पंचायत समिति तथा तहसील में चिपकवाकर प्रारूप के बारे में प्रत्येक व्यक्ति से सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करते हुए राज–पत्र में तथा जोधपुर से प्रकाशित होने वाले तथा अधिक प्रसार वाले हिन्दी के दो दैनिक समाचार–पत्रों में

प्रकाशित करेगा। योजना प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे सुझाव अथवा आपत्तियां, प्रारूप "क" में योजना प्रारूप के राज–पत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किये जाएंगे।

(2) योजना प्रारूप की प्रति सहित उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना प्राधिकरण के विवेकानुसार प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को, जिसकी स्थानीय सीमा में योजना प्रारूप से प्रभावित कोई भूमि स्थित हो, योजना की बाबत अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देते हेतु भेजी जायेगी। ऐसा अभ्यावेदन प्रारूप "क" में सूचना के राज–पत्र में प्रकाशित और/या दो समाचार–पत्रों में प्रकाशित होने की तारीख से जो भी पहले हो, 30 दिन की कालावधि के भीतर किया जायेगा:

परन्तु स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाने पर इस कालावधि को बढाया जा सकेगा।

(3) योजना प्रारूप ऐसे नक्शों, योजनाओं तथा दस्तावेजों से मिलकर बनेगी जो इन विनियमों से संलग्न दस्तावेजों में दिये गये हैं।

(4) विनियम 3 (1) में निर्दिष्ट योजना प्रारूप जोधपुर विकास आयुक्त के निर्देशानुसार निदेशक आयोजना द्वारा तैयार किया जायेगा और इसके पश्चात् जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उसके विचार के लिए और विनियम (3) के उप विनियम (2) (3) के अधीन प्राप्त हुई आपत्तियों पर इसकी टिप्पणियों सहित इस पर कार्यकारी समिति की सिफारिश के पश्चात् आगे प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए रखी जायेगी।

4–अधिनियम की धारा 23 के अधीन योजना का अनुमोदनः– (1) प्राप्त हुए आक्षेपों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण ऐसे विनिश्चय करेगा जो वह ठीक समझे।

(2) जहां प्रांधिकरण द्वारा योजना को मंजूरी दे दी जाये यह तुरन्त यह कथित करते हुए कि योजना का अनुमोदन कर दिया गया है, राज–पत्र में प्रारूप "ख" में एक सूचना प्रकाशित करवायेगा जिसकी एक प्रतिलिपि प्राधिकरण के कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर, कार्यालय नगर निगम जोधपुर, कार्यालय जिला परिषद जोधपुर, संबंधित नगर पालिका के कार्यालय और संबंधित समस्त पंचायत समितियों के कार्यालयों में उपलब्ध होगी, जिसका सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय समय में निरीक्षण किया जा सकेगा। सूचना की एक प्रतिलिपि जोधपुर से प्रकाशित होने वाले तथा अधिक प्रसार वाले हिन्दी के दो दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। पूर्वोक्त सूचना के प्रथम प्रकाशन की तारीख से योजना प्रवर्तित हो जायेगी, परन्तु मंजूर योजना की प्रतिलिपि जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियत कीमत पर खरीदी जा सकेगी।

5–धारा 25 के अधीन किसी योजना का पश्चात्वर्ती उपान्तरणः– प्राधिकरण, योजना के प्रवर्तन के पश्चात् किसी भी समय, योजना में कोई उपान्तरण, जैसा वह ठीक समझे, कर सकेगा, किन्तु कोई उपान्तरण करने से पहले, मास्टर प्लान के बारे में 30 दिन के भीतर आपत्तियां आमंत्रित करते हुए विनियम 3 में उपदर्शित रीति से प्रारूप"ग" में एक सूचना प्रकाशित की जायेगी। प्राधिकरण योजना में अन्तिम रूप से कोई उपान्तरण करने से पूर्व उसके द्वारा प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करेगा। अन्तिम रूप से अनुमोदित प्रत्येक उपान्तरण विनियम के उप विनियम (2) में कथितानुसार प्रकाशित किया जायेगा और उपान्तरण या तो प्रकाशन की तारीख से या ऐसी तारीख से प्रवर्तित होगा जो प्राधिकरण, राज–पत्र में और उस क्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के द्वारा नियत करें जिसके पश्चात् उपान्तरित योजना अधिनियम के सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए प्रवर्तित हो जायेगी।

6–धारा 39 के अधीन परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी तथा प्रकाशनः– (i) जब प्राधिकरण अधिनियम की धारा 39 में यथा उपबन्धित रूप में किसी विकास क्षेत्र में कोई परियोजना या स्कीम तैयार करने के अपने आशय की घोषणा करें, तो ऐसी परियोजना या स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की तारीख से 30 दिन के भीतर राज–पत्र और जोधपुर से प्रकाशित होने वाले व अधिक प्रसार वाले हिन्दी के दो स्थानीय दैनिक समाचार–पत्रों में, और जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर, कार्यालय नगर निगम जोधपुर, कार्यालय जिला परिषद जोधपुर और संबंधित समस्त नगर पालिकायें एवं पंचायत समिति के नोटिस बोर्ड पर ऐसी घोषणा की एक प्रति चिपकवा कर, प्रकाशित करेगा।

(ii) प्राधिकरण द्वारा उप विनियम (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर प्रारूप के रूप में कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर, परियोजना या स्कीम का प्रारूप तैयार किया जायेगा जिसे उप विनियम 3(1) में यथा उपबन्धितानुसार एक प्रारूप योजना के समान एक नोटिस के साथ प्रकाशित करेगा, जिसमें विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उक्त परियोजना या स्कीम के प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऐसी तारीख से तीस दिन से पूर्व की नहीं होगी, आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किये गए हों।

(iii) आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् जब किसी परियोजना अथवा स्कीम का प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन कर दिया जाये, तो अन्तिम परियोजना या स्कीम को तुरन्त राज–पत्र में जोधपुर से प्रकाशित अधिक प्रसार वाले हिन्दी के दो स्थानीय समाचार पत्रों में तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के कार्यालय, कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर, कार्यालय नगर निगम जोधपुर, कार्यालय जिला परिषद जोधपुर और संबंधित समस्त नगर पालिकायें एवं पंचायत समिति के नोटिस बोर्ड पर, वह तारीख जिसमें परियोजना या स्कीम प्रवर्तित होगी, विनिर्दिष्ट करते हुए प्रकाशित की जाएगी।

7–(i) किसी परियोजना अथवा स्कीम में धारा 39 में उपदर्शित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध किया जायेगा और उसमें उक्त धारा में दी गयी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी।

(ii) प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित समस्त आवश्यक नक्शे, योजनायें या अन्य मामले परियोजना प्रारूप या स्कीम के साथ और प्रस्तावों के समर्थन में आवश्यक लिखित विश्लेषण और लिखित विवरण सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किये जायेंगे।

8–किसी परियोजना या स्कीम में, धारा 39 में उपबंधित मामलों और उक्त धारा में दी गयी विशिष्टियों के अतिरिक्त ऐसी अन्य विशिष्टियॉ होगी जो प्राधिकरण द्वारा कार्यकारी समिति की सिफारिश पर समय समय पर अनुमोदित की जाये।

अनुसूची

मास्टर विकास योजना–प्रारूप

(क) प्रारूप और अन्तर्वस्तुः–

जोधपुर के मास्टर योजना प्रारूप में निम्नलिखित नक्शे, योजना और दस्तावेज समाविष्ट होंगे, अर्थातः–

(क) जोधपुर संभाग में सम्मिलित जोधपुर नगर, कस्बों और गांवों की सीमाओं के भीतर सभी सडके, गलियां, रास्ते आदि को सामान्य अभिन्यास दर्शित करने वाला नक्शा,

(ख) विद्यमान भूमि के प्रचलित उपयोग का पैटर्न जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि, सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग, बंजर भूमि, पहाडियां, नदियां छोटे नाले, नाले, गौचर भूमि, वन आदि दर्शित करने वाला आधारभूत नक्शा,

(ग) मास्टर योजना प्रारूप में जोधपुर संभाग के नागरिकों के उस जीवन को जिसके निर्वाह की वे –

(i) वर्ष 2023 में मध्यम श्रेणी के परिप्रेक्ष्य में,

(ii) वर्ष 2031 में और उसके पश्चात् दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में,

(iii) ऐसे अन्य अन्तर्वर्ती चरणों में जो वर्णित किये जायें, रखते हैं, जोधपुर शहर व जोधपुर शहर के अन्य विकासोन्मुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संतुलित और समयबद्ध विकास की लोकापयोगी सिविक सुविधाओं, सामुदायिक प्रसुविधाओं, आवासीय, संचार और यातायात के जाल बिछाने को, प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण और विकास के लिए परियोजनाओं और स्कीमों को तथा जोधपुर संभाग के एकीकृत विकास या प्रभाव डालने वाली ऐसी अन्य बातों को स्पष्टतः परिभाषित किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित के लिए विशेष उपबन्ध किया जा सकेगाः–

(1) यातायात एवं संचार जैसे सड़कें, राजमार्ग, रेल्वे नहरे, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, हवाई लदान कॉम्प्लेक्स और बस सेवा तथा उनका विकास सम्मिलित है।

(2) जल–प्रदाय, जल–विकास, मल–निकास और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताएं, सुविधाएं एवं सेवाएं, जिनमें विद्युत गैस भी सम्मिलित है।

(3) प्राकृतिक दृश्यावली, शहर के वनों, वन्य प्राणियों, प्राकृतिक स्त्रोतों और स्थल दृश्यों के क्षेत्रों का परीक्षण, संरक्षण और विकास,

(4) ऐतिहासिक, प्राकृतिक, स्थापत्य या वैज्ञानिक रूचि एवं शैक्षणिक मूल्यों की वस्तुओं, आकृतियों, इमारतों या स्थानों का परीक्षण,

(5) भूमि कटाव रोकना, वनरोपण या पुनः वनरोपण की व्यवस्था करना, जल प्लावित क्षेत्रों, नदियों, नालों, झीलों और तालाबों का सुधार करना,

(6) सिंचाई, जल प्रदाय एवं जल विद्युत संकर्म, बाढ़ नियंत्रण और जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना,

(7) जिला व्यवसायिक केन्द्रों, अन्य शापिंग कॉम्प्लेक्स, निर्यात, औद्योगिक क्षेत्र, निकास गृह, स्थायी प्रदर्शनी केन्द्रों, पशु मेलों एवं बाजारों,

(8) शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाएं

(9) खेलकूद कॉम्प्लेक्स जो अन्तर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर सके,

(10) आमोद–प्रमोद के लिए उद्यान जिनमें डिस्ने लैण्ड स्टाइल कॉम्प्लेक्स, सफारी उद्यान एवं अन्य बाग एवं उद्यान पिकनिक स्थान एवं दिन के आमोद–प्रमोद जिनमें कृत्रित झीलें एवं जलाशय सम्मिलित है:

(11) सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स जिनमें नाट्य–गृह, सिनेमा, रंगमंच, स्टूडियों, मनोरंजन केन्द्र, सम्मेलन हॉल कॉम्प्लेक्स, कन्सर्ट हाल, टाउन हाल और सभा भवन सम्मिलित है,

(12) पर्यटन कॉम्प्लेक्स जिनमें होटलें, मोटर, कार, टैक्सी, पर्यटन और यात्राएं आयोजित करना सम्मिलित है,

(13) नए कस्बों के विकास के साथ–साथ जोधपुर संभाग में उपनगरों का विकास और जोधपुर शहर के साथ उनका समुचित समेकीकरण,

(14) विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आवंटन करना, भूमि का सामान्य वितरण करना और वह सामान्य स्थिति एवं सीमा जतलान जिस तक आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या वन के रूप में या खनिज समुपयोजन के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग कर सके,

(15) खुले स्थानों, बागों, मनोरंजन स्थानों, चिड़ियाघरों, प्राकृतिक आरक्षितियों, पशु अभयारण्य, दुग्धशालाओं एवं अन्य प्रयोजनों के लिए क्षैत्रों का आरक्षण करना,

(16) अधिक जनसंख्या वाले एवं औद्योगिक रूप से संकलित क्षेत्रों से जनसंख्या या उद्योग को पुनः स्थापित करना और जोधपुर संभाग के किसी भी क्षेत्र में मंजूर किये जाने वाले उद्योग की घनता या जनसंख्या या उद्योगों का केन्द्रीयकरण करना।

(17) आवासन जिसमें ग्रामीण आवासन भी सम्मिलित है,

(18) निचले, दलदली या अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों का पुनः विकास एवं सुधार करना,

(19) बने हुए विद्यमान क्षेत्रों का पुनः विकास एवं सुधार करना,

(20) विभिन्न जोनों के लिए जिनमें "आबादी" का विकास भी सम्मिलित है, मापमान का आयोजन तथा जोन बनाने का विनियमन, तथा

(21) जोधपुर संभाग की शहरी उन्नति की व्यवस्था के लिए तथा उनसे संबंधित समस्त मामलों तथा इस अधिनियम के उद्देश्यों से संगत अन्य मामलों के लिए आयोजना तैयार करना,

(22) विभिन्न जोनों की सीमा निर्धारित करना, जिनमें विकास के प्रयोजनार्थ जोधपुर संभाग को विभाजित किया जायेगा, वह रीति जिसमें विकास किया जाना है तथा प्रत्येक जोन की भूमि जिसका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, (चाहे उसमें विकास कार्य करके अथवा अन्यथा) तथा वे चरण जिनमें ऐसा विकास किया जायेगा उपदर्शित करना और वह उस

ढांचे का आधारभूत नमूना होगी, जिसके भीतर विभिन्न जोनों को जोनल विकास योजना तैयार की जा सकेगी।

(घ) प्रस्तावों के समर्थन में लिखित विश्लेषण और लिखित विवरण।

(ड) कोई अन्य नक्शे योजनाएं या मामला, जिसे प्राधिकरण, देना उचित समझे।

(ख) जोनल विकास योजना:–

प्रत्येक जोन के लिए प्राधिकरण द्वारा तैयार विकास योजना में–

(क) जोन के विकास का एक स्थल रेखांक होगा जिसमें ऐसी बातें जैसे सार्वजनिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य और उपयोगिताएं, सडकें, आवासन आमोद–प्रमोद, उद्योग, व्यवसाय, बाजार, स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक एवं निजी खुले स्थान, तथा अन्य सार्वजनिक एवं निजी खुले स्थान तथा अन्य सार्वजनिक एवं निजी उपयोग की सीमावर्ती स्थितियां और जोन में प्रस्तावित भूमि के उपयोग की सीमा दिखलाई जाएगी,

(ख) जोनल योजना–प्रारूप होगा, जिसमें धारा 22 की उपधारा (2) में यथा उल्लिखित विकास कियाकलापों के लिए उपबन्ध होगा, आबादी की घनता और भवनों की घनता के स्तरमान विनिर्दिष्ट किये जायेंगे और विशेषतः निम्नलिखित सभी बातों से या उनमें से किसी से संबंधित प्रस्ताव होंगे, अर्थात्:–

(1) भवन–निर्माण के लिए किसी स्थल का प्लाटों में विभाजन,

(2) सड़कों, खुले स्थानों, बागों, आमोद–प्रमोद के स्थलों, स्कूलों, बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन तथा आरक्षण,

(3) किसी क्षैत्र का कस्बे या कॉलोनी के रूप में विकास और वे निर्बधन तथा शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ऐसा विकास किया जा सकेगा या कियान्वित किया जा सकेगा,

(4) किसी स्थल पर भवनों का परिनिर्माण तथा भवनों में या उनके चारों ओर रखे जाने वाले खुले स्थानों के बारे में निर्बन्धन तथा शर्तें तथा भवनों की ऊँचाई और उनका स्वरूप,

(5) किसी स्थल पर भवनों का पत्तिर–बंधन,

(6) किसी स्थल पर निर्मित किये जाने वाले भवन की ऊँचाई या अग्रभाग का स्थापत्य स्वरूप,

(7) किसी प्लाट या स्थल पर बनाए जाने वाले आवासीय भवनों की संख्या,

(8) किसी स्थल या ऐसे स्थल पर बने भवनों के संबंध में उपलब्ध कराई जाने वाली सुख सुविधाएं जो चाहे भवनों के निर्माण से पूर्व कराई जाए या उसके पश्चात् तथा व्यक्ति या प्राधिकारी जिसके द्वारा या जिसके खर्च पर ऐसी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है,

(9) किसी परिक्षेत्र में विशेष प्रयोजन के लिए परिकल्पिक दुकानों, वर्कशापों, भण्डागारों या कारखानों या विनिर्दिष्ट वास्तुकला संबंधी स्वरूप के भवनों के निर्माण के संबंध में प्रतिषेक या निर्बन्धन,

(10) दीवारों, बाडबन्दियों, झाडबंदियों या किसी अन्य संरचनात्मक निर्माण या वस्तु संबंधी निर्माणों का रखरखाव तथा वह ऊंचाई जहां तक उन्हें बनाये रखता है,

(11) किसी स्थल के भवन–निर्माण से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने के संबंध में निर्बन्धन,

(12) कोई अन्य बातें जो जोन या उसके किसी क्षैत्र का योजना के अनुसार समुचित विकास के लिए तथा ऐसे जोन या क्षैत्र में भवनों के आकमिक निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक हो।

(ग) प्रस्तावित जोनल विकास योजना के समर्थन में लिखित विश्लेषण या लिखित विवरण।

(घ) सभी आवश्यक नक्शे, आयोजना मामले, प्राधिकरण जिन्हें देने का निर्देश दें।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

प्रारूप "क"

(देखिए विनियम 3)

..........................के विनियम (3) के साथ पठित, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा (23) की उप–धारा (1) के अनुसरण में, इसके द्वारा, सूचना दी जाती है कि जोधपुर संभाग के निम्नलिखित क्षैत्रों के संबंध में मास्टर विकास योजनाएं (मास्टर डवलपमेंट प्लान) तैयार की गई है:–

कोई भी व्यक्ति राज–पत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तथा/या दो दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशन की तारीख से, जो भी पहले हो, तीस दिनों की कालावधि के भीतर उक्त मास्टर प्लान प्रारूप के संबंध में आपत्तियों और सुझाव अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकेगा।

तारीख.....

प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी

प्रारूप "ख"

(देखिए विनियम 4)

सूचना

.... के विनियम (4) के साथ पठित, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा (24) के अनुसारण में, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित क्षैत्रों के संबंध में प्रस्तावित जोधपुर संभाग की मास्टर विकास योजना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दी गई है:–

इस मास्टर योजना की प्रतिलिपियों का निरीक्षक, कलैक्टर, जोधपुर के कार्यालय, जोधपुर नगर निगम के कार्यालय तथा संबंधित सभी पंचायत समितियों के कार्यालयों में सभी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है और प्रतियां जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के कार्यालय से खरीदी जा सकती है।

अधिकारी या प्राधिकारी

प्रारूप "ग"

(देखिए विनियम 5)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अधिनियम, 2009 की धारा (25) की उप धारा –– (3) तथा उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसारण में, इसके द्वारा, सूचना दी जाती है कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तथा .... को प्रकाशित जोधपुर संभाग के मास्टर प्लान प्रारूप को नीचे उपदर्शित रीति से स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है:–

प्रस्तावित उपान्तरण

कोई भी व्यक्ति राज–पत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तथा/ या किन्हीं दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से जो भी पहले हो, तीस दिनों की कालावधि के भीतर उपर्युक्त उपान्तरणों के संबंध में आपत्तियां और सुझाव अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकेगा।

अधिकारी

जोधपुर विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एवं कर्तव्य निर्धारण) विनियम, 2014

1–संक्षिप्त नाम और प्रभाव :–

1.1 यह विनियम, जोधपुर विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एवं कर्तव्य निर्धारण) विनियम, 2014 कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

1.3 यह विनियम, प्राधिकरण के संपूर्ण कार्यक्षेत्र के लिए लागू होंगे।

2– परिभाषायें:– इन विनियमों में जब तक विषय अथवा सन्दर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो:–

2.1 अधिनियम से अभिप्राय:– जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 से हैं।